Miscellaneous Case No – 11/2018
Dist. - Gaya

==

Mining Officer, Gaya
Vs.
Ramiya Construction Pvt. Ltd.

==

आदेश

27.03.2018 C.W.J.C. No.-3587/2018 मे० वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.03.18 को पारित आदेश द्वारा यह व्याख्या की गयी है कि खान आयुक्त द्वारा मूल प्राधिकार के किसी आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है। यह वाद स्वतः पुनरीक्षण के प्राधिकार को मूल प्राधिकार की तरह उपयोग करते हुए आरम्भ किया गया है, जबकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, **1972** में खान आयुक्त को खनन पट्टा निलंबित अथवा समाप्त करने का मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस वाद में अबतक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अतः संदर्भित न्यायादेश एवं प्रावधान के आलोक में इस वाद को समाप्त करते हुए, मामले को गुण-दोष पर विचार कर उचित निर्णय लेने का निदेश समाहर्ता, गया को दिया जाता है। समाहर्ता, गया संबंधित बन्दोबस्तधारी को सुनकर **30** दिनों के अन्दर उचित निर्णय लेंगे।

ह0/–
(अतुल प्रसाद)
खान आयुक्त
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–......1621....../एम0 पटना, दिनांक ....28:3:18....
प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, गया/सहायक निदेशक, गया/रमैया कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, मैनेजर सुरेश यादव, पिता–बुद्धदेव यादव, 51/ए0पी0 कॉलोनी, गया/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।